कार्यालय शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त,उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

संख्या – 9302 /दस–185(1)शीरा–नीति/2007–08 इलाहाबाद:दिनांक:मार्च 05,2008

आदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्या 5972/दस–185(1)/शीरा–नीति/2006–07 दिनांक 21.12.2006 के संदर्भ में, मै सुधीर एम0 बोबडे, शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम–1964 की धारा–8(1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या 594 ई–2/तेरह–2008–106/2007 दिनांक 04.03.2008 के कम में शीरा वर्ष 2007–08 के लिये उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे के संबंध में शीरा नीति निर्धारण हेतु निम्नलिखित आदेश देता हूँ:–

(1) वर्ष 2006–07 की शीरा नीति में विचलन हेतु प्राप्त प्रकरणों पर गुणावगुण के आधार पर विचार कर संस्तुति करने के लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति एवं उक्त समिति की संस्तुति पर मा0 आबकारी मंत्री को अन्तिम निर्णय लेने की, कार्यालय ज्ञाप संख्या 1814 ई–2/तेरह–2007–4/2007 दिनांक 24 जुलाई, 2007 द्वारा की गई व्यवस्था, शीरा वर्ष 2007–08 में यथावत् लागू रहेगी।

(2) शीरा वर्ष 2007–08 में शीरे के सम्भावित कम उत्पादन को देखते हुए प्रदेश के बाहर शीरा निर्यात पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। शीरे की पर्याप्त उपलब्धता होने पर प्रस्तर–1 में वर्णित प्रक्रियानुसार शासन द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(3) उत्तरांचल राज्य की रासायनिक इकाईयों को उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों से शासनादेश संख्या 3646 ई–2/तेरह–2006–227/2000 दिनांक 30 अक्टूबर, 2006 के प्राविधानानुसार शीरा वर्ष 2007–08 में शीरा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में शीरे की उपलब्धता को देखते हुए प्रस्तर–1 में वर्णित प्रक्रियानुसार शासन द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

(4) उत्तर प्रदेश की आसवनियों को गत वर्ष की भॉति अन्य राष्ट्रों से शीरा आयात करने की अनुमति शासन के अनुमोदन से प्रदान की जाएगी। शीरा आयातक को भारत सरकार द्वारा आयात–निर्यात के सम्बन्ध में निर्धारित नीति एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(5) शीरे पर प्रशासनिक शुल्क की दर गत वर्ष की भॉति प्रदेश के अन्दर खपत के लिये रू0 11/– प्रति कुण्टल तथा प्रदेश के बाहर निर्यात पर 15/– रूपये प्रति कुण्टल यथावत् रहेगा। इसके अतिरिक्त अन्य प्रान्तों से शीरा आयात पर 11/– रूपया प्रति कुण्टल तथा अन्य राष्ट्रों से शीरा आयात पर प्रशासनिक शुल्क की दर रू0 15/– प्रति कुण्टल गत वर्ष की भॉति यथावत् रहेगी।

(6) शीरा वर्ष 2006–07 की भॉति शीरा निधि की धनराशि को अन्तर इकाई हस्तान्तरण की सुविधा एक ही संगठन की सभी चीनी मिलों को प्रदान की जाएगी, किन्तु शीरा निधि का अन्तर–इकाई हस्तान्तरण करने के पूर्व शीरा नियंत्रक/आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(7) शीरा वर्ष 2007–08 में पेय मदिरा हेतु शीरे के आरक्षण के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है:–

(अ) शीरा वर्ष 2007–08 में प्रत्येक चीनी मिल द्वारा उत्पादित शीरे पर देशी मदिरा के लिये 25 प्रतिशत शीरा आरक्षित रहेगा तथा देशी मदिरा के उपभोग से अवशेष शीरे का आवंटन विदेशी मदिरा के निर्माताओं को शीरा नियंत्रक द्वारा किया जायेगा, किन्तु मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4466/2007 मेसर्स धामपुर शुगर मिल्स लि0 बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 24.09.2007 के अनुपालन में सह–आसवनी वाली चीनी मिलों में उत्पादित शीरे की मात्रा को उनकी स्वयं की आसवनी के उपभोग के लिये अवमुक्त रखा जायेगा तथा उनके उपभोग से अवशेष मात्रा पर 25 प्रतिशत आरक्षण लागू रहेगा।

(ब) शीरा वर्ष 2007–08 में आरक्षित/अनारक्षित शीरे का निस्तारण 1:3 के अनुपात में किया जायेगा तथा इसकी समीक्षा शीरा नियंत्रक द्वारा पाक्षिक रूप से की जाएगी । इसका अनुपालन न करने वाली चीनी मिलों के विरूद्ध नियमानुसार यथोचित दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। (197)

(स) अवशेष अविक्रीत आरक्षित श्रेणी के शीरे को स्वयं के उपयोग अथवा फ्री–सेल में विक्रय हेतु अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों को शीरा नियंत्रक द्वारा स्व–विवेक से यथोचित समय पर निर्णय लेने हेतु शासन को संदर्भित किया जाएगा, जिस पर शासन द्वारा उपरोक्त प्रस्तर–1 में वर्णित प्रक्रियानुसार निर्णय लिया जाएगा।

(8) उपरोक्त बिन्दु संख्या–2,3 व 7(स) को छोड़कर शीरा वर्ष 2007–08 की शीरा नीति के अन्य किसी बिन्दु पर विचलन के सम्बन्ध में भी शासन द्वारा उपरोक्त प्रस्तर–1 में वर्णित प्रक्रियानुसार निर्णय लिया जाएगा।

(9) शीरा वर्ष 2007–08 के लिये घोषित शीरा नीति अगले शीरा वर्ष 2008–09 में यथावत् तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक कि शीरा वर्ष 2008–09 के लिये शीरा नीति की घोषणा नहीं कर दी जाती।

(10) उत्तर प्रदेश में शीरे का आयात इस कार्यालय द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र पर ही किया जायेगा ।

(11) प्रदेश में स्थापित शीरे पर आधारित इकाईयॉ शीरे का उठान शीरा पासबुक पर ही कर सकेंगी ।

(सुधीर एम0 बोबडे)
शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या – 9303–9608/दस–185(1)शीरा–नीति/2007–08/ तद्‌दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आबकारी विभाग, बापू भवन, लखनऊ ।
2. समस्त संयुक्त/उप आबकारी आयुक्त, जोन्स/प्रभार, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश
4. समस्त अनुभाग अधिकारी, मुख्यालय ।
5. समस्त उप/आबकारी निरीक्षक/अध्यासी चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश ।
6. अध्यक्ष,उ0प्र0 चीनी मिल संघ,लखनऊ ।
7. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0, लखनऊ ।
8. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लि0, लखनऊ ।
9 अध्यक्ष,उ0प्र0 आसवक संघ,पी0एच0डी0 हाउस, अपोजिट एशियन गेम्स विलेज,नई दिल्ली ।
10 समस्त सहायक आबकारी आयुक्त/प्रभारी आबकारी निरीक्षक, आसवनियॉ ।
11. समस्त आसवनियॉ, उत्तर प्रदेश ।
12. आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल राज्य, देहरादून ।

(सुधीर एम0 बोबडे)
शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।